



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 468]

No. 468]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2004/कार्तिक 4, 1926

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2004/KARTIKA 4, 1926

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2004

सा.का.नि. 700(अ).— राजमार्ग प्रशासन नियम, 2003 नामक कतिपय नियमों का प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ), खंड (ड), खंड (ढ), खंड (ण), खंड (त), खंड (थ), खंड (द), खंड (ध), खंड (न), खंड (प), खंड (फ) और खंड (ब) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 407 तारीख 26 अगस्त, 2003 के साथ भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 26 अगस्त, 2003 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 26 अगस्त, 2003 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और कोई आक्षेप या सुझाव ऐसे प्रारूप की बाबत उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 50 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ) और खंड (ड) से खंड (ब) के साथ पठित उपधारा (1) और साधारण खंड अधिनियम 1897 (1897 का 10) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजमार्ग प्रशासन नियम, 2004 है ।

- (2) ये उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जिसको अधिनियम प्रवृत्त होगा ।
2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (क) “अधिनियम” से राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2003 (2003 का 13) अभिप्रेत है ;
- (ख) “धारा” से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;
- (ग) राजमार्ग प्रशासन के संबंध में, “अधिकारी”, से नियम 3 के, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट अधिकारी अभिप्रेत हैं ;
- (घ) राजमार्ग प्रशासन के संबंध में, “ज्येष्ठ अधिकारी” से नियम 3 के खंड (ii) के अधीन ज्येष्ठ अधिकारी के रूप में पदाभिहित अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ङ) “अनुज्ञापत्र” से धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया ऐसा अनुज्ञापत्र अभिप्रेत है, जो उस उपधारा के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए है ;
- (च) “पट्टे” से धारा 25 के अधीन मंजूर किया गया पट्टा अभिप्रेत है ;
- (छ) नियम 9 और नियम 10 के प्रयोजनों के लिए, “अनुज्ञप्ति” से धारा 25 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;
- (ज) “अनुसूची” से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (झ) इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्दों और पदों का, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, क्रमशः वही अर्थ होगा जो उनका अधिनियम में है ।

अध्याय 2

राजमार्ग प्रशासन द्वारा शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन तथा अभिलेखों का रखा जाना

3. राजमार्ग प्रशासनों द्वारा शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग - अधिनियम के उपबंधों और केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन अधिरोपित शर्तों या निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, -

- (i) जहां किसी राजमार्ग प्रशासन में केवल एक अधिकारी है, तब ऐसा अधिकारी, अधिनियम और इन नियमों के अधीन राजमार्ग प्रशासन की शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निर्वहन स्वयं द्वारा या उसके अधीक्षण के अधीन किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा उस सीमा तक किया जाएगा, जो ऐसे अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारी को समय-समय पर प्राधिकृत की जाए ;
- (ii) जहां किसी राजमार्ग प्रशासन में एक से अधिक अधिकारी हैं, तब केंद्रीय सरकार उनमें से किसी एक को ज्येष्ठ अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी, जो ऐसे प्रत्येक अधिकारी को (स्वयं को सम्मिलित करते हुए) ऐसे राजमार्गों के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर राजमार्ग की लंबाई समनुदेशित करेगा और वह अधिकारी, जिसे इस प्रकार राजमार्गों की ऐसी लंबाई समनुदेशित की जाती है, राजमार्ग की उस लंबाई के संबंध में अधिनियम और इन नियमों के अधीन उस रीति में, जो एक अधिकारी वाले राजमार्ग प्रशासन द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिए खंड (i) में निर्दिष्ट है, राजमार्ग प्रशासन की शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा :

परंतु यह कि इस प्रकार पदाभिहित ज्येष्ठ अधिकारी के पास राजमार्ग प्रशासन के अन्य अधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन पर साधारण अधीक्षण होगा ।

4. भूमि अभिलेखों का रखा जाना — (1) प्रत्येक राजमार्ग प्रशासन के मुख्यालय में अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में राजमार्ग भूमि रजिस्टर नामक एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें ऐसी भूमियों की विविधियाँ रखी जाएंगी, जो राजमार्ग प्रशासन के अधिकारिता क्षेत्र के भीतर अवस्थित हैं और धारा 23 के अधीन केन्द्रीय सरकार जिनकी स्वामी है।

(2) राजमार्ग भूमि रजिस्टर के प्रत्येक पृष्ठ को क्रमवार संख्यांकित किया जाएगा और यथास्थिति, अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर रजिस्टर के पृष्ठों की कुल संख्या को अधिप्रमाणित करेगा और वह समय-समय पर रजिस्टर का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसमें की गई प्रविष्टियाँ सही हैं।

5. अभिलेख शुद्धि के लिए दावा — (1) धारा 23 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व के विरुद्ध दावा करने वाला और राजमार्ग भूमि रजिस्टर में त्रुटियाँ ठीक कराने की वांछ करने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, संबद्ध अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी को लिखित शिकायत करेगा और उसके समक्ष अपने दावे को साबित करेगा और यथास्थिति, ऐसा अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी, ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् रजिस्टर में संबंधित प्रविष्टि में शुद्धि करने का आदेश दे सकेगा या दावे को नामंजूर कर सकेगा।

(2) जहाँ, यथास्थिति, अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी राजमार्ग भूमि रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को ठीक करने का आदेश करता है, वहाँ राजमार्ग प्रशासन का संबंधित कर्मचारी बिना किसी विरुद्ध के उस रजिस्टर में शुद्धि करेगा और उसे ऐसे कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित और, यथास्थिति, अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी द्वारा लाल स्याही में प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा।

अध्याय 3

शर्त, किराया, अन्य प्रभार, आदि

6. वे शर्तें, जिनके अधीन अनुज्ञापत्र जारी किया जा सकेगा — अनुज्ञापत्र में निम्नलिखित एक या अधिक ऐसी शर्तें अंतर्निहित होंगी, जिन्हें धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति राजमार्ग प्रशासन या प्राधिकृत कोई अधिकारी उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा मंजूर करते हुए, यातायात की सुरक्षा और सुविधा तथा अनुज्ञा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित समझे, अर्थात् :-

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे अनुज्ञा मंजूर की गई है, अनुज्ञा के अनुसरण में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जो राजमार्ग या राजमार्ग भूमि को क्षति पहुंचाए या राजमार्ग पर यातायात में बाधा उत्पन्न करे,

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति अनुज्ञा के अनुसरण में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जो राजमार्ग भूमि को ऐसी कोई क्षति पहुंचाए, जिसे मंजूर की गई अनुज्ञा की समाप्ति के तुरंत पश्चात् ठीक न किया जा सके ;

(iii) ऐसा कोई व्यक्ति अनुज्ञा के अनुसरण में कब्जे वाले राजमार्ग पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जिससे राजमार्ग पर वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण हो ;

परंतु युक्तियुक्त प्रदूषण की ऐसी मात्रा जो केन्द्रीय सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकेगी इस खंड के अधीन अनुज्ञेय होगी।

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी प्रकृति का कोई निर्माण नहीं करेगा, या कराएगा, जिसे मंजूर की गई अनुज्ञा की समाप्ति पर आसानी से हटाया न जा सके ;

(v) इस प्रकार अधिरोपित शर्तों का कोई उत्त्लंघन अनुज्ञापत्र को रद्द करने का आधार होगा।

7. अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए किराया और अन्य प्रभार — (1) किसी व्यक्ति को, उसके द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट दर पर राजमार्ग प्रशासन को किराये का संदाय करने पर अनुज्ञा-पत्र जारी किया जाएगा :-

प्रतिमास किराये की दर रूप में —

अनुज्ञा-पत्र के अधीन अनुज्ञा के अनुसरण में राजमार्ग पर
कब्जे में ली गई भूमि की वर्तमान लागत

5 x 12

(2) जहां अनुज्ञा-पत्र जारी करके मंजूर की गई अनुज्ञा को नवीकृत किया जाता है, वहां अनुज्ञा का नवीकरण, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दर पर किराये के और जहां अनुज्ञा-पत्र के अधीन अधिभोग में ली गई भूमि पच्चीस वर्ग मीटर तक की है, वहां एक हजार रूपए के अतिरिक्त प्रभार के संदाय पर किया जाएगा तथा जहां यह भूमि पच्चीस वर्ग मीटर से अधिक है, वहां अतिरिक्त प्रभार में प्रत्येक पच्चीस वर्ग मीटर या उसके भाग के लिए एक हजार रूपए की दर से वृद्धि की जाएगी।

8. अनुज्ञा-पत्र का प्रारूप — प्रत्येक अनुज्ञा-पत्र अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट प्रारूप में जारी किया जाएगा।

9. वे शर्तें, जिनके अधीन पट्टा या अनुज्ञप्ति मंजूर की जा सकेगी — किसी व्यक्ति को अस्थाई उपयोग के लिए मंजूर दिए गए पट्टे या अनुज्ञप्ति में निम्नलिखित शर्तें अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

(i) ऐसी शर्तें, जिन पर यातायात की सुख्खा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजमार्ग प्रशासन या देश प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी और ऐसे व्यक्ति के बीच सहमति होती है ; और

(ii) निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तें, जिनमें राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा प्राधिकृत यातायात की सुख्खा और सुविधा तथा अनुज्ञा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अधिरोपित करना उचित समझे --

(क) ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जो राजमार्ग या राजमार्ग भूमि को क्षति पहुंचाए या राजमार्ग पर यातायात में बाधा उत्पन्न करे ;

(ख) ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जो राजमार्ग भूमि को ऐसी कोई क्षति पहुंचाए, जिसे, यथास्थिति, पट्टे या अनुज्ञप्ति की समाप्ति के तुरंत पश्चात् ठीक न किया जा सके ;

(ग) ऐसा व्यक्ति कब्जे वाले राजमार्ग पर ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जिससे राजमार्ग पर वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण हो।

(घ) ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रकृति का कोई निर्माण नहीं करेगा, या कराएगा, जिसे, यथास्थिति, पट्टे या अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर आसानी से हटाया न जा सके ;

(ङ) अधिरोपित शर्तों के किसी उल्लंघन पर राजमार्ग प्रशासन या ऐसे प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, पट्टे या अनुज्ञप्ति को समाप्त कर सकेगा ;

(च) यथास्थिति, ऐसा पट्टा या अनुज्ञप्ति, राजमार्ग प्रशासन द्वारा पट्टा या अनुज्ञप्ति दिए जाने के समय अवधारित ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगी, जो पट्टे की समाप्ति पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

10. पट्टा या अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए किराया या अन्य प्रभार —

(1) राजमार्ग प्रशासन द्वारा, राजमार्ग भूमि का पट्टा या अनुज्ञप्ति, उस व्यक्ति द्वारा, जिसे, यथास्थिति, पट्टा या अनुज्ञप्ति दी गई है, नीचे विनिर्दिष्ट दर पर किराये का संदाय किए जाने पर मंजूर की जाएगी :-

प्रतिमास किराये की दर रुपए में = $\frac{\text{ऐसी राजमार्ग भूमि की लागत}}{5 \times 12}$

(2) जहां राजमार्ग भूमि के पट्टे का नवीकरण किया जाता है, वहां पट्टे का प्रत्येक नवीकरण, उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट किराये के और जहां भूमि पच्चीस वर्ग मीटर तक है, वहां पांच हजार रुपए के अतिरिक्त प्रभार के संदाय पर किया जाएगा तथा जहां पच्चीस वर्ग मीटर से अधिक है, वहां ऐसे अतिरिक्त प्रभार में प्रत्येक पच्चीस वर्ग मीटर या उसके भाग के लिए पांच हजार रुपए की दर से और वृद्धि की जाएगी।

11. सूचना का प्ररूप — धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन जारी की जाने वाली प्रत्येक सूचना का प्ररूप वह होगा जो अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट है।

12. संनिर्माण, आदि करने के लिए साध्य लागत - धारा 26 की उपधारा (8) के अधीन किसी संनिर्माण में परिवर्तन सहित कोई संनिर्माण करने के लिए साध्य लागत वह होगी, जो समय-समय पर राजमार्ग प्रशासन द्वारा, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे संनिर्माण या संनिर्माण में परिवर्तन के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री की लागत, संबंधित क्षेत्र में श्रम प्रभारों और अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, अवधारित की जाए।

13. बिल का प्ररूप - (1) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन दिया जाने वाला प्रत्येक बिल उस प्ररूप में होगा, जो अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट है।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट बिल के साथ राजमार्ग प्रशासन या उस प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र और साथ ही ऐसे किसी अप्राधिकृत अधिभोग, संनिर्माण का, जिससे बिल संबंधित है और जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, किसी अप्राधिकृत संनिर्माण की बाबत संनिर्माण में परिवर्तन या किसी क्षति की मरम्मत भी है, संक्षिप्त विवरण भी लगा होगा।

14. राजमार्ग तक पहुंच के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के लिए आवेदन - धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन किसी राजमार्ग तक पहुंच के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन उस प्ररूप में होगा, जो अनुसूची 5 में विनिर्दिष्ट है और उसके साथ संबंधित राजमार्ग प्रशासन के पक्ष में पांच हजार रुपए की फीस भी होगी।

15. राजमार्ग तक पहुंच के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के निबंधन और शर्तें — राजमार्ग प्रशासन, धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा देते समय निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों में से एक या अधिक को अधिरोपित कर सकेगा, अर्थात् :-

- (i) विनिर्दिष्ट अनुज्ञा, धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति में राजमार्ग प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट सीमित समयावधि और प्रयोजन के लिए होगी ;
- (ii) विनिर्दिष्ट अनुज्ञा, किसी राजमार्ग की उस लंबाई तक पहुंच के लिए सीमित होगी, जो उक्त अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाए ;
- (iii) ऐसा व्यक्ति, जिसे विनिर्दिष्ट अनुज्ञा दी गई है, विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के अनुसरण में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जिससे राजमार्ग को क्षति पहुंचे ;
- (iv) ऐसा व्यक्ति, विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के अनुसरण में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या कराएगा, जिससे राजमार्ग पर यातायात की सुरक्षा और सुविधा में बाधा आए ;

- (v) ऐसा व्यक्ति, अनुज्ञा का उपयोग करते समय, राजमार्ग पर यातायात की सुखा और सुविधा, राजमार्ग पर स्वच्छता और राजमार्ग पर न्यूसेंस और प्रदूषण को रोकने से संबंधित ऐसे मार्गदर्शन सिद्धांतों का पालन करेगा, जो राजमार्ग प्रशासन द्वारा उक्त अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट किए जाएं।

16. अनुज्ञप्ति का प्ररूप, विधि मान्यता की अवधि और अनुज्ञप्ति के नवीकरण की रीति — (1) धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति उस प्ररूप में होगी, जो अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट है।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति के अधीन विनिर्दिष्ट अनुज्ञा, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमाम्य होगी, जो एक समय में छह मास से अधिक नहीं होगी और वह व्यक्ति, जिसके पक्ष में ऐसी अनुज्ञा दी गई है, यदि वह समय का विस्तार अभिप्राप्त करना चाहता है तो राजमार्ग प्रशासन को, इस प्रकार दी गई अनुज्ञा की समाप्ति से पूर्व एक मास के भीतर आवेदन कर सकेगा और राजमार्ग प्रशासन धारा 28 की उपधारा (2) और उस धारा की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना के अधीन जारी किए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों और अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञा का नवीकरण कर सकेगा या उसे नामंजूर कर सकेगा।

(3) जहां उपनियम (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के अंतर्गत अनुज्ञा का नवीकरण किया जाता है, वहां राजमार्ग प्रशासन अनुज्ञप्ति के पीछे ऐसे नवीकरण की प्रविष्टि करेगा और उस अवधि को विनिर्दिष्ट करेगा, जिसके लिए नवीकरण किया गया है, जो एक समय में छह मास से अधिक नहीं होगी और उसे हस्ताक्षरित और मुद्रा द्वारा पृष्ठांकित करेगा और जहां नवीकरण नामंजूर किया जाता है, वहां राजमार्ग प्रशासन ऐसी नामंजूरी के लिए कारण लेखबद्ध करेगा और उसकी संसूचना संबद्ध व्यक्ति को देगा।

अध्याय 4

लदान भार, सुरक्षा नियंत्रण और यान, आदि के हस्तांतरण की रीति

17. लदान भार की सीमा - राजमार्ग प्रशासन, राजमार्ग के सतह की दशाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, राजमार्ग या उसके किसी भाग या राजमार्ग पर या उसके आस-पार बने किसी पुल, पुलिया या सेतुक के संबंध में समय-समय पर लदान भार की सीमा अवधारित कर सकेगा, जो धारा 32 के प्रयोजनों के लिए लदान भार सीमा होगी और राजमार्ग प्रशासन संबद्ध व्यक्तियों की जानकारी के लिए किसी स्थानीय समाचार-पत्र में उस लदान भार सीमा को प्रकाशित करेगा।

18. धारा 32 के अधीन यानों के आने-जाने पर प्रतिबंध या निर्बंधन - जहां धारा 32 के अधीन राजमार्ग प्रशासन का यह समाधान हो जाता है कि किसी राजमार्ग या उसके किसी भाग या राजमार्ग पर या उसके आस-पार बने किसी पुल, पुलिया या सेतुक की सतह इस प्रकार डिजाइन नहीं की गई है कि उस पर नियम 17 के अधीन अवधारित लदान भार सीमा से अधिक लदान भार वाले यान चल सकें, तो यह स्थानीय समाचार पत्रों में इस तथ्य की लोक सूचना द्वारा और संबंधित यातायात की जानकारी के लिए, यथास्थिति, ऐसे राजमार्ग या उसके किसी भाग या ऐसे राजमार्ग पर या उसके आस-पार बने ऐसे पुल, पुलिया या सेतुक के निकट उपयुक्त दूरियों पर इस तथ्य को अंतर्विष्ट करने वाले सूचना पट्ट लगाने के पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे राजमार्ग या उसके किसी भाग या राजमार्ग पर अथवा उसके आस-पार बने किसी पुल, पुलिया या सेतुक पर ऐसे यानों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा सकेगा या निर्बंधित कर सकेगा और किसी संदेह की दशा में राजमार्ग प्रशासन यानों की ऐसी आवाजाही को निेदेशित करने के लिए इस नियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए किसी यान पर लदान भार की अनुज्ञेय सीमा से अधिक के लदान भार सीमा को हटा सकेगा।

19. धारा 35 के अधीन यातायात संकेतों का रखा जाना या लगाया जाना - राजमार्ग प्रशासन, धारा 35 के प्रयोजनों के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक या अधिक ऐसे यातायात संकेतों को, जो प्रयोजन को पूरा करने के लिए उचित और पर्याप्त हों, यातायात की सुविधा के लिए उपयुक्त स्थानों पर रखवाएगा या लगवाएगा :

परंतु यदि राजमार्ग प्रशासन यह समझता है कि धारा 35 के अधीन किसी विशिष्ट प्रयोजन को किसी अधिक उपयोगी रीति में पूरा करने के लिए किसी ऐसे संकेत में कोई उपांतरण किया जाना अपेक्षित है तो वह, उस प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के पश्चात् इस प्रकार उपांतरित संकेतों को रख सकेगा या लगा सकेगा।

20. धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन सुरक्षा नियंत्रण - ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके भारसाधन या कब्जे में कोई यान है, उस यान को -

(i) किसी राजमार्ग में तब नहीं ले जाएगा, जब तक कि -

(क) उस यान को ऐसी गति सीमा के भीतर नहीं चलाया जाता है, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 की (1988 का 59) धारा 112 के अधीन किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसे यान को चलाने के लिए लागू है ;

(ख) ऐसा यान, किसी सार्वजनिक स्थान में उसके चलाए जाने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 113 की उपधारा (2) के अर्थान्तर्गत भारवहन सीमाओं के भीतर नहीं हो ; और

(ग) ऐसा यान, ब्रेक और स्टीयरिंग गियर, संकेतन साधित्र, लैम्प और परावर्तकों, गति नियंत्रकों, धुँएँ, दिखाई देने वाली भाप, चिंगारी, राख, बाल कण या तेल के उत्सर्जन, यानों से निकलने वाली या होने वाली आवाज को घटाने, आटो - डिपर, मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल के परिवहन संबंधी उपबंध और यान में अन्तःनिर्मित सुरक्षा युक्तियों के रूप में प्रयुक्त संघटकों के मानकों के संबंध में मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं करता हो ; अथवा

(ii) किसी राजमार्ग पर तब तक खड़ा नहीं करेगा, जब तक कि -

(क) वह ऐसी परिस्थितियों में न खड़ा किया गया हो, जिससे राजमार्ग के अन्य उपयोगकर्ताओं को या उस पर यात्रियों को खतरा, बाधा या असम्यक् असुविधा न होती हो या होने की संभावना न हो ;

(ख) उसके चालक या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की, जिसको उसकी देख रेख का कार्य सौंपा गया हो, गहन देख रेख में न हो और ऐसे चालक या व्यक्ति द्वारा दस या अधिक घंटों के लिए आरक्षित न छोड़ा गया हो ;

(ग) राजमार्ग प्रशासन द्वारा ऐसे खड़े किए जाने के लिए विधिक रूप से अनुज्ञात या अनुज्ञात स्थान पर खड़ा न किया गया हो ;

(घ) क्षतिग्रस्त, दग्ध या यातायात को संकट पैदा करने वाली विखण्डित स्थिति में न हो ;

(ङ) राजमार्ग पर सहज और सुगम यातायात संचलन में कोई बाधा पैदा न करता हो ।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके भारसाधन या कब्जे में कोई पशु है, उस पशु को -

(i) किसी राजमार्ग में तब तक नहीं ले जाएगा, जब तक कि -

(क) उस पशु की देखरेख किसी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार तत्परतापूर्वक नहीं की जाती है, जिससे कि राजमार्ग पर यातायात को किसी खतरे या भय से बचाया न जा सके ;

(ख) उस पशु की उस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार देखरेख न की जाती हो, जिससे कि राजमार्ग पर यातायात को कोई कठिनाई न पैदा हो ;

(ग) ऐसे पशु की उस व्यक्ति द्वारा इस प्रकार देखरेख न की जाती है, जिससे कि उस पशु को राजमार्ग को प्रदूषित या नुकसान करने से रोका जा सके ;

(ii) राजमार्ग में उस पशु को -

(क) राजमार्ग पर उस स्थान से भिन्न ऐसे किसी स्थान पर खड़ा नहीं करेगा, जो राजमार्ग प्रशासन द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट रूप से आबंटित न किया गया है ;

(ख) किसी व्यक्ति की बिना देखरेख की दशा में खड़ा नहीं करेगा ;

(ग) यातायात को कोई नुकसान या भय पैदा करने के लिए पशु को अनुमत करने वाली किसी दशा में खड़ा नहीं करेगा ; और

(घ) ऐसी दशा में खड़ा नहीं करेगा जिससे पशु द्वारा राजमार्ग को प्रदूषित किया जाए या उसे हानि पहुँचे ।

21. यान या पशु को उसके स्वामी, आदि को सौंपे जाने की रीति - (1) जहाँ राजमार्ग प्रशासन द्वारा धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन किसी यान या पशु को कब्जे में लिया गया है, वहाँ यथास्थिति, उस पशु या यान का स्वामी होने का दावा करने वाला व्यक्ति, राजमार्ग प्रशासन को यह कथन करते हुए आवेदन कर सकेगा कि वह, यथास्थिति, उस यान या पशु का स्वामी है और राजमार्ग प्रशासन द्वारा, धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन यान या पशु को हटाने में उपगत हुए व्यय का संदाय करने पर, राजमार्ग प्रशासन द्वारा ऐसा यान या पशु उसे सौंपा जा सकेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन करने वाला व्यक्ति, राजमार्ग प्रशासन के समक्ष यह साबित करने के लिए कि वह, यथास्थिति, उस यान या पशु का स्वामी है, उसके समाधान के लिए साक्ष्य भी पेश करेगा ।

(3) जहाँ राजमार्ग प्रशासन का उपधारा (2) के अधीन साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, उस यान या पशु का स्वामी है, वहाँ वह धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन उस यान या पशु को हटाने में उपगत हुए व्यय का निर्धारण करेगा और इस प्रकार निर्धारित किए गए व्यय का उस व्यक्ति द्वारा राजमार्ग प्रशासन को संदाय किए जाने के पश्चात्, राजमार्ग प्रशासन, यथास्थिति, उस यान या पशु को, उस व्यक्ति को सौंप देगा ।

(4) किसी यान के सात दिन तक अदावाकृत बने रहने की दशा में ऐसे यान की बाबत संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट की जाएगी ।

(5) किसी पशु के अदावाकृत रहने की दशा में, राजमार्ग प्रशासन उस पशु की, उसके वापस सौंपे जाने तक, सुरक्षित अभिरक्षा और देखभाल की उचित व्यवस्था करेगा ।

22. धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप - धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन, अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट प्ररूप में किया जाएगा ।

23. धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन फीस और अन्य प्रभार - (1) राजमार्ग प्रशासन, उन व्यक्तियों पर जिन्हें धारा 38 की उपधारा (3) के अधीन अनुमति दी गई है, नीचे विनिर्दिष्ट दर पर फीस अधिरोपित करेगा, अर्थात् :-

प्रतिमास फीस रुपये में = अनुमति के अधीन प्रस्तावित कार्य के लिए अधिभोग या उपयोग की गई या राजमार्ग का भाग बनने वाली भूमि की वर्तमान लागत

5 X 12

(2) जहां राजमार्ग का भाग बनने वाली ऐसी कोई भूमि, जिसकी बाबत उपनियम (1) के अधीन फीस अधिरोपित की गई है, किसी नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है, वहां उपनियम (1) के अधीन अधिरोपित फीस के बीस प्रतिशत की दर से अन्य प्रभार भी अधिरोपित किए जाएंगे और जहां ऐसी भूमि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, वहां इस प्रकार अधिरोपित किए जाने वाले अन्य प्रभार दस प्रतिशत होंगे।

स्पष्टीकरण - इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए, “नगरपालिका क्षेत्र” का वही अर्थ है, जो संविधान के अनुच्छेद 243त के खंड (क) के अधीन उसका है और “ग्रामीण क्षेत्र” से नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र अभिप्रेत है।

24. धारा 43 के अधीन संक्षिप्त विचारण - (1) यदि राजमार्ग प्रशासन या उस प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई जांच पड़ताल करना चाहता है तो वह निम्नलिखित रीति में संक्षिप्त जांच कर सकेगा, अर्थात् :-

(क) यथास्थिति, राजमार्ग प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, राजमार्ग भूमि के अप्राधिकृत अधिभोग वाले स्थान का दौरा कर सकेगा, ऐसी भूमि का निरीक्षण कर सकेगा और अधिनियम के अधीन समुचित कार्रवाई के लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने संप्रेक्षणों को लेखबद्ध कर सकेगा ;

(ख) यथास्थिति, राजमार्ग प्रशासन या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी आवश्यक समझे तो धारा 42 में निर्दिष्ट संबंधित ग्राम प्रधान, ग्राम लेखाकार, ग्राम चौकीदार या अन्य ग्राम पदधारी या ऐसे अन्य व्यक्ति का कथन अभिलिखित कर सकेगा। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि ऐसा कोई अपराध जिसके अन्तर्गत राजमार्ग की भूमि का अप्राधिकृत अधिभोग, नुकसान या विनाश करना भी है, किया गया है ;

(ग) जहां राजमार्ग प्रशासन या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति खंड (ख) के अधीन कथन अभिलिखित करता है वहां वह ऐसा कथन दो प्रतियों में अभिलिखित करेगा और उस पर उस ग्राम के, जहां इस प्रकार कथन अभिलिखित किया गया है, यथास्थिति, ग्राम प्रधान, ग्राम लेखाकार, ग्राम चौकीदार, अन्य ग्राम पदधारी या किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर लेगा।

(2) जहां उपनियम (1) द्वारा की गई जांच के आधार पर, राजमार्ग प्रशासन या उस प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति का यह समाधान हो जाता है कि उसके द्वारा अधिनियम के अधीन कोई कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तो, यथास्थिति, राजमार्ग प्रशासन या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति विलंब किए बिना ऐसी कार्रवाई करेगा और जहां राजमार्ग प्रशासन या उस अधिकारी का ऐसी जांच के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि राजमार्ग भूमि के अप्राधिकृत अधिभोग, हानि या विनाश करने वाला कोई अपराध किया गया है, वहां विलंब किए बिना उसकी

सूचना, खंड (क) के अधीन लेखबद्ध किए गए सुसंगत संप्रक्षर्णों या ऐसे अपराध के किए जाने के संबंध में उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन अभिलिखित किए गए कथन के साथ आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित पुलिस थाने में देगा।

(3) प्रत्येक राजमार्ग प्रशासन, प्रत्येक तीन मास में एक बार केन्द्रीय सरकार को एक संक्षिप्त रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें उस अवधि के भीतर उस राजमार्ग प्रशासन की अधिकारिता के भीतर उपनियम (1) के अधीन की गई जांचों और ऐसी जांचों के आधार पर की गई कार्रवाइयों का संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (3) के अधीन संक्षिप्त रिपोर्टों की प्राप्ति पर धारा 3 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन ऐसा कोई साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगी, जिसे यह सरकार, राजमार्ग प्रशासन द्वारा अधिनियम के अधीन शक्तियों के उचित प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन के लिए ठीक समझे।

25. सूचना या बिल की तामील करने या दिए जाने की रीति - अधिनियम में यथा अन्यथा उपबधित के सिवाय, धारा 47 के अधीन जारी या तैयार की गई सूचना या बिल की निम्नानुसार तामील की जा सकेगी या उसे दिया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) ऐसी सूचना या बिल की संबंधित व्यक्ति पर तामील की जा सकेगी या उसकी एक प्रति उसे संदेशवाहक द्वारा सौंप कर और उसकी दूसरी प्रति पर उसके हस्ताक्षर लेकर उसे दिया जा सकेगा।

(ख) यदि सूचना या बिल का तामील किया जाना या दिया जाना खंड (क) के अधीन सहज रूप में संभव नहीं है तो ऐसी सूचना या बिल को संबंधित व्यक्ति को, उसके ज्ञात निवास स्थान के पते पर, रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा और उस व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत डाक का भेजा जाना, यथास्थिति, ऐसी सूचना की उस पर तामील करना या बिल का दिया जाना होगा और उसके द्वारा उस रजिस्ट्रीकृत डाक को लेने से इंकार करने की दशा में, रजिस्ट्रीकृत डाक पर डाकघर कर्मचारी द्वारा ऐसी नामजूसी की टिप्पणी को, यथास्थिति, ऐसी सूचना या बिल को उस पर तामील किया गया या उसे दिया गया समझा जाएगा।

(ग) यदि खंड (क) और (ख) के अधीन ऐसी सूचना या बिल को तामील करना या उसे दिया जाना संभव नहीं है तो उस सूचना या बिल की अन्तर्वस्तुओं को उस स्थान में बांटे जाने वाले समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा, जहां संबंधित व्यक्ति वास्तव में या स्वेच्छया निवास करता है या कारबार करता है या अपनी सूचना के लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है और ऐसे प्रकाशन को उस व्यक्ति पर तामील करना या उसे बिल का दिया जाना समझा जाएगा।

26. निर्वचन - यदि इन नियमों को लागू करने के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसे केन्द्रीय सरकार को, उसे विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार के विनिश्चय को लागू किया जाएगा।

अनुसूची- 1

[नियम 4(1) देखें]

राजमार्ग भूमि रजिस्टर

रा. राजमार्ग सं.

कि.मी. सं.

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

क्रम सं.	राज्य/संघ का नाम	राज्यक्षेत्र	जिले का नाम	तहसील/उप-मंडल का नाम	ग्राम/मोहल्ले का नाम	प्लॉट सं./खसरा सं.	भूमि का क्षेत्रफल एकड़ (हवटेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

टिप्पण : इस रजिस्टर में किलोमीटरवार सूचना रखी जानी है।

अनुसूची- 2

(नियम 8 देखें)

राजमार्ग भूमि के अधिग्रहण के लिए अनुज्ञा-पत्र

(राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन)

.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

1. उस व्यक्ति का नाम, जिसे अनुज्ञा पत्र जारी किया गया है :
2. पिता का नाम :
3. स्थायी पता (टेलीफोन नं. सहित) :
4. पत्र व्यवहार के लिए पता (टेलीफोन नं. सहित) :
5. अनुज्ञा-पत्र के अनुसरण में अधिग्रहित किए जाने वाले राजमार्ग का क्षेत्र वर्ग मीटर में :
6. ऐसे क्षेत्र की अवस्थिति (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. और किलोमीटर सहित) :
7. प्रयोजन, जिसके लिए अनुज्ञा-पत्र के अधीन अनुज्ञा दी गई :
8. वह अवधि तारीख सहित, जिसके लिए अनुज्ञापत्र के अधीन अनुज्ञा दी गई : से तक
9. वे शर्तें, जिनके अधीन अनुज्ञापत्र के अधीन अनुज्ञा दी गई :
10. संदत्त किसान

अनुज्ञा पत्र मंजूर करने वाले राजमार्ग प्रशासन के अधिकारी
के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

स्थान :

तारीख :

टिप्पण : नवीकरण, जिसके अंतर्गत वह समय अवधि भी है, जिसके लिए नवीकरण किया जाता है और उसके लिए संदत्त किसानों और अतिरिक्त प्रभारों के संबंध में प्रविष्टियां नवीकरण करने की अनुज्ञा देने वाले अधिकारी की मुद्रा सहित, इस अनुज्ञा पत्र के पीछे की जाएंगी और उन्हें पृष्ठांकित किया जाएगा ।

अनुसूची 3
(नियम 11 देखें)

अप्राधिकृत कब्जे को हटाने के लिए सूचना का प्रारूप

(राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन)

मुझे को प्राप्त सूचना के आधार पर मेरे द्वारा राजमार्ग भूमि का आवधिक रूप से निरीक्षण किए जाने पर मेरा यह समाधान हो गया है कि स.च. सं. (क्षेत्र की पहचान के लिए पर्याप्त अवस्थिति दर्शित करें) के कि.मी. पर स्थित (क्षेत्रफल विनिर्दिष्ट करें) क्षेत्र वाले राजमार्ग पर अप्राधिकृत कब्जा हुआ है और ऐसा अप्राधिकृत कब्जा आपके द्वारा किया गया है। ऐसे अप्राधिकृत कब्जे के लिए आप उत्तरदायी हैं,

अतः, आपको (उस व्यक्ति का नाम और पता, जिसे सूचना जारी की जानी है) सूचित किया जाता है कि आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस सूचना के आपको तामील किए जाने की तारीख से सात दिन के भीतर ऐसा अप्राधिकृत कब्जा हटा लें। आप, इस सूचना के आपको तामील किए जाने की तारीख से तीन दिन के भीतर (उस अधिकारी का पदनाम और पता दर्शित करें, जिसे अभ्यावेदन दिया जाना है) को अभ्यावेदन कर सकते हैं और ऐसे अभ्यावेदन पर, यदि किया जाता है तो (सुनवाई की तारीख और स्थान दर्शित करें) को पर सुनवाई की जाएगी और इस सूचना को ध्यान में रखें कि इस सूचना के अनुपालन में असफल रहने पर आप राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन शास्ति अधिरोपित किए जाने और उपरिवर्णित राजमार्ग भूमि से समरी निष्कासन के लिए दायी होंगे।

मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा के अधीन, तारीख को जारी।

राजमार्ग प्रशासन या प्राधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान

..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

अनुसूची-4

(नियम 13 देखें)

अप्राधिकृत कब्जे को हटाने की लागत और अधिरोपित जुर्माने की वसूली लिए बिल का प्ररूप
(राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन
तामील किया जाए)

1. उस व्यक्ति का नाम, जिसे बिल तामील
किया जाना है :
2. पिता का नाम :
3. पता
(टेलीफोन नं. सहित) :
4. अप्राधिकृत कब्जे की अवस्थिति, राष्ट्रीय
राजमार्ग सं. और किलोमीटर सहित :
5. अप्राधिकृत कब्जे को हटाने/संनिर्माण में
परिवर्तन सहित संनिर्माण करने/टूट-फूट
की मरम्मत करने में उपयुक्त व्यय
अतिरिक्त प्रभार
अधिरोपित जुर्माना

योग

बिल जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर

मुद्रा

स्थान :

तारीख :

.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

अनुसूची : 5

(नियम 14 देखें)

किसी राजमार्ग पर पहुँच के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के लिए आवेदन
(राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन)
सेवा में,

राजमार्ग प्रशासन,
.....
.....

.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

1. आवेदक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. आवेदक का पता
(टेलीफोन नं. सहित) :
4. राजमार्ग सं. और राजमार्ग पर पहुँच का
वह स्थान, जिस पर पहुँच के लिए
अनुज्ञा मांगी गई है :
5. ऐसी अनुज्ञा का प्रयोजन :
6. पहुँच के साधन, जिनसे मांगी गई अनुज्ञा
संबंधित :
7. ऐसी अनुज्ञा के आधार जिनका आवेदक
उल्लेख करना चाहता है :
8. वह अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा अपेक्षित
है : से तक
9. संपदा फीस की विशिष्टियाँ :

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

अनुसूची - 6

(नियम 16 देखें)

राजमार्ग तक पहुंच के लिए अनुज्ञप्ति

(राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन)

..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

1. उस व्यक्ति का नाम, जिसे अनुज्ञप्ति जारी की गई है :
2. पिता का नाम :
3. ऐसे व्यक्ति का पता (टेलीफोन नं. सहित) :
4. विनिर्दिष्ट अनुज्ञा का प्रयोजन :
5. उस राजमार्ग का संक्षिप्त विवरण, जिसके संबंध में विनिर्दिष्ट अनुज्ञा दी गई है (राष्ट्रीय राजमार्ग सं. और किलोमीटर सहित) :
6. पहुंच के साधन, जिनसे ऐसी अनुज्ञा संबंधित है :
7. वह अवधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति मान्य है : से तक
8. निबंधन और शर्तें (यदि कोई हों) :

राजमार्ग प्राधिकरण का नाम और
अनुज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर तथा मुद्रा

स्थान :

तारीख :

अनुसूची - 7

(नियम 22 देखें)

राजमार्ग भूमि पर संनिर्माण, प्रतिष्ठापन आदि के लिए आवेदन
(राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत उक्त
धारा की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए)

सेवा में,

राजमार्ग प्रशासन,

.....

.....

..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

1. आवेदक का नाम :
2. पिता का नाम :
3. पता :
(टेलीफोन नं. सहित)
4. अधिग्रहण किए जाने वाले राजमार्ग का :
अवस्थिति और भाग
(राष्ट्रीय राजमार्ग सं. और किलोमीटर भी
दर्शाएँ)
5. प्रयोजन :
6. राजमार्ग भूमि के अधिग्रहण की अवधि :
7. कार्य निष्पादन की पद्धति :
(कार्य की ड्राईंग/नक्शे का विस्तृत ब्यौरा
संलग्न करें)
8. संनिर्माण की अवधि : से तक
9. राजमार्ग के ऐसे भाग के जीर्णोद्धार की :
पद्धति

स्थान :

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

[फा. सं. एन.एच.-11014/4/2004-जी. एंड एम.]

इन्दु प्रकाश, महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2004

G.S.R. 700(E).— Whereas the draft of certain rules called the Highways Administration Rules, 2003, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a), (g), (h), (i), (m), (n), (o), (p), (q), (r), (s), (t), (u), (v) and (w) of sub-section (2) of section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 26th August, 2003 with the notification of Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 407 dated the 26th August, 2003, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of thirty days from the date on which copies of the said notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 26th August, 2003;

And whereas no objections or suggestions have been received from any person with respect to such draft rules within the time period specified in the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a), (g), (h), (i) and (m) to (w) of sub-section (2) of section 50 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and section 22 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby makes the following rules namely :-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. - (1) These rules will be called the Highways Administration Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date on which the Act shall come into force.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003);

(b) "section" means a section of the Act;

- (c) "Officer", in respect of a Highway Administration, means the Officer referred to in clause (i) or clause (ii) of rule 3, as the case may be;
- (d) "Senior Officer", in respect of a Highway Administration, means the Officer designated as Senior Officer under clause (ii) of rule 3;
- (e) "permit" means a permit issued under sub-section (2) of section 24 for granting permission under that sub-section;
- (f) "lease" means the lease granted under section 25;
- (g) "licence", for the purposes of rules 9 and 10, means the licence granted under section 25;
- (h) "Schedule" means a schedule annexed to these rules;
- (i) words and expressions used in these rules which are not defined in these rules but are defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

CHAPTER II

EXERCISE OF POWERS AND FUNCTIONS BY THE HIGHWAY ADMINISTRATIONS AND MAINTENANCE OF RECORDS.

3. Exercise of powers and functions by Highway Administrations - Subject to the provisions of the Act and the conditions or limitations imposed by the Central Government under the proviso to sub-section (1) of section 3, -

(i) where a Highway Administration consists of only one Officer, then, such Officer shall exercise the powers and discharge the functions of the Highway Administration under the Act and these rules by himself or such powers shall be exercised and functions shall be discharged by the subordinate officers under his supervision to the extent as is authorised by such Officer to the subordinate Officers from time to time;

(ii) where a Highway Administration consists of more than one Officer, then, the Central Government shall designate one of them as the Senior Officer who shall assign to each of such Officers (including himself), the length of Highway within the jurisdiction of such Highways and the Officer to whom such length of Highways is so assigned shall exercise the powers and discharge the functions of the Highway Administration under the Act and these rules in respect of such length of Highway in the manner as specified in clause (i) for exercising of powers and discharging of functions of Highway Administrations consisting of one Officer:

Provided that the Senior Officer so designated shall have the general supervision over the exercising of powers and discharging of functions of the Highway Administration by the other Officers.

4. Maintenance of land records. — (1) There shall be maintained at the head office of every Highway Administration a register to be called the Highway Land Register in the form specified in the Schedule I in which the particulars of the land situated within the jurisdiction of the Highway Administration of which the Central Government is the owner under section 23 shall be entered.

(2) Every page of the Highway Land Register shall be consecutively numbered and on the first page of the Register, the Officer or the Senior Officer, as the case may be, shall authenticate the number of pages which the Register contains and he shall, from time to time, inspect the Register and ensure that the entries made therein are correct.

5. Claim for correction of records. — (1) Any person claiming against the ownership of the Central Government referred to in sub-section (1) of section 23 and desirous of getting a correction carried out in the Highway Land Register, shall make written complaint to the concerned Officer or the Senior Officer, as the case may be, and prove his claim before him and such Officer or Senior Officer, as the case may be, may after considering the evidence produced by such person order to correct the concerned entry in the Register or reject the claim.

(2) Where the Officer or the Senior Officer, as the case may be, orders to correct any entry in the Highway Land Register, such correction shall be made in that Register without delay by the concerned official of the Highway Administration and it shall also be signed by such official and counter-signed in red ink by the Officer or the Senior Officer, as the case may be.

CHAPTER III

CONDITIONS, RENT, OTHER CHARGES, ETC.

6. Conditions subject to which permit may be issued. — A permit shall contain any one or more of the following conditions which the Highway Administration or any officer authorised under sub-section (1) of section 24, as the case may be, while granting a permission under sub-section (2) of the said section deems fit having regard to the safety and convenience of traffic and nature of the permission, namely :-

(i) that the person to whom the permission is granted shall not do or cause to be done any act in pursuance of the permission which may cause damage to highway and highway land or inconvenience to the traffic on the highway;

(ii) that such person shall not do or cause to be done any act in pursuance of the permission which may cause any damage to the Highway land which cannot be restored immediately on the expiry of the permission granted;

(iii) that such person shall not do or cause to be done any act on the Highway occupied in pursuance of the permission which may cause air pollution or water pollution or noise pollution on the Highway;

Provided that such extent of reasonable pollution which the Central Government may, from time to time by notification in the Official Gazette, specify, shall be permissible under this clause.

(iv) that such person shall not make or cause to be made any structure of such nature which cannot be removed easily on the expiry of the permission granted;

(v) that any breach of the conditions so imposed shall be a ground to cancel the permit.

7. Rent and other charges for issuing permit. – (1) The permit shall be issued to a person on payment of rent to the Highway Administration at the rate as specified below :-

Rate of rent per month in rupees = Present cost of land on Highway
occupied in pursuance of permission
under the permit.

5 x 12

(2) Where the permission granted by issuing the permit is renewed, the renewal of the permission shall be made on payment of rent at the rate specified in sub-rule (1) and the additional charge amounting to rupees one thousand where the land occupied under the permit is up to twenty five square metres and where it exceeds twenty five square metres such additional charge shall increase further at the rate of one thousand rupees per twenty five square metres or part thereof.

8. Form of permit. – Every permit shall be issued in the Form specified in Schedule II.

9. Condition subject to which a lease or licence may be granted. – A lease or licence of highway land granted to a person for temporary use shall contain the following conditions, namely :-

(i) such conditions which are agreed to by and between the Highway Administration or the officer authorised by such Administration in this behalf, and such person, having regard to the safety and convenience of traffic; and

(ii) any one or more of the following, which the Highway Administration or the officer authorised by such Administration deems fit, having regard to the safety and convenience of traffic, to impose –

(a) that such person shall not do or cause to be done any act on such highway land which may cause damage or inconvenience to the traffic to the Highway;

(b) that person shall not do or cause to be done any act on such highway land which may cause any damage to the highway land which cannot be restored on the termination of the lease or licence, as the case may be;

(c) that such person shall not do or cause to be done any act on such highway land which may cause air pollution or water pollution on the Highway;

(d) that such person shall not make or cause to be made on such highway land any structure of such nature which cannot be removed easily on the termination of the lease or licence, as the case may be;

(e) that on any breach of the conditions imposed, the Highway Administration or the officer authorized by such Administration in this behalf may terminate the lease or licence, as the case may be;

(f) that such lease or licence, as the case may be, shall be valid for a period determined by the Highway Administration at the time of lease or licence which shall not exceed five years on the expiry of lease.

10. Rent or other charges for granting lease or licence. — (1) The lease or licence of highway land shall be granted on payment of rent by the person to whom the lease or licence, as the case may be, is given to the Highway Administration at the rate as specified below :—

Rate of rent per month in rupees = $\frac{\text{Present cost of such highway land}}{5 \times 12}$

(2) Where the lease of highway land is renewed, each renewal of the lease shall be made on payment of rent specified in sub-rule (1) and additional charge amounting to rupees five thousand where such highway land is up to twenty five square metres and where it exceeds twenty five square metres such additional charge shall increase further at the rate of five thousand rupees per twenty five square metres or part thereof.

11. Form of notice. — Every notice to be issued under sub-section (2) of section 26 shall be in the form as specified in Schedule III.

12. The cost for making feasible construction, etc. — The cost for making construction including alteration of any construction feasible under sub-section (8) of section 26 shall be such as may be determined from time to time by the Highway Administration, having regard to the cost of material to be utilised for such construction or alteration of construction, the rate of labour charges in the concerned area and other relevant factors.

13. Form of bill. — (1) Every bill to be served under sub-section (2) of section 27 shall be in the form as specified in Schedule IV.

(2) The bill referred to in sub-rule (1) shall be accompanied by a certificate issued by the Highway Administration or the officer authorized by such Administration in this behalf and also with a brief description of unauthorized occupation, construction including alteration of construction in respect of any unauthorized construction or repairing of any damage, as the case may be, to which the bill belongs.

14. Application for specific permission to access to a Highway. — The application for obtaining specific permission for access to a Highway under sub-section (2) of section 29 shall be in such Form as is specified in Schedule V and shall be accompanied by a fee of rupees five hundred drawn in favour of the concerned Highway Administration.

15. Terms and conditions for specific permission to access to a Highway. — The Highway Administration may, while giving a permission under sub-section (2) of section 29, impose any one or more of the following terms and conditions, namely :-

(i) that the specific permission shall be for a limited period of time and for the purposes as specified by the Highway Administration in the licence issued under sub-section (3) of section 29;

(ii) that the specific permission shall be limited for the access to such length of a Highway as may be specified in the said licence;

(iii) that the person to whom the specific permission is given shall not do or cause to be done in pursuance of the specific permission any act which may cause any damage to Highway;

(iv) that such person shall not do or cause to be done, in pursuance of the specific permission, any act by which safety and convenience of traffic on the Highway shall be disturbed;

(v) that such person shall while utilising permission shall observe such guidelines relating to safety and convenience of traffic on the Highway, hygiene, prevention of nuisance and pollution on the Highway as may be specified by the Highway Administration in the said licence.

16. Form of licence, period of validity and manner of renewal of licence. — (1) The licence given under sub-section (3) of section 29 shall be in the Form as specified in the Schedule VI.

(2) The specific permission under the licence referred to in sub-rule (1) shall be valid up to a period specified in the licence which shall not exceed six months at a time and the person in whose favour such permission is given may if he desires to obtain an extension of time, make an application within one month before the expiry of the permission so given to the Highway Administration and the Highway Administration may, having regard to the guidelines and instructions issued under sub-section (2) of section 28 and the notification under sub-section (3) of that section either renew the permission under the licence or reject the same.

(3) Where the permission under licence is renewed under sub-rule (2), the Highway Administration shall make the entry for such renewal on the back of the licence and specify the time for which the renewal is made which shall not exceed six months at a time and endorse the same with signature and seal and where the renewal is rejected, the Highway Administration shall record the reason in writing for such rejection and communicate the same to the person concerned.

CHAPTER IV

LADEN WEIGHT, SAFETY CONTROL AND MANNER OF HANDING OVER THE VEHICLE, ETC.

17. Limit of laden weight. — The Highway Administration may, keeping in view the conditions of the surface of a Highway determine with the previous approval of the Central Government, the limit of laden weight in respect of the Highway or any part thereof, or any bridge, culvert or causeway built on or across the Highway, as the case may be, from time to time, which shall be the limit of laden weight for the purposes of section 32 and the Highway Administration shall publish such limits of laden weight in a local newspaper for the information of the concerned persons.

18. Prohibition or restriction of the plying of vehicle under section 32. — Where the Highway Administration is satisfied that the surface of a Highway or any part thereof, or any bridge, culvert or causeway built on or across the Highway is not designed to carry vehicle of which the laden weight exceeds the limit of laden weight as determined under rule 17, it may, by public notice of such fact in the local newspapers and after placing signboards containing such fact at suitable distances nearby such Highway or any part thereof or any bridge, culvert or causeway built on or across the Highway, as the case may be, for the information of the traffic concerned, prohibit or restrict the plying of such vehicles on or over such Highway or any part thereof or such bridge, culvert or causeway built on or across the Highway, as the case may be, and in case of doubt, the Highway Administration may remove the additional laden weight in excess of the permissible limit of the laden weight of any vehicle to implement the provisions of this rule for directing such plying of the vehicle.

19. Traffic signs to be placed or erected under section 35. — The Highway Administration shall, for the purposes of section 35 cause one or more of the traffic signs specified in the First Schedule to the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) suitable and sufficient to serve the purpose, to be placed or erected at suitable places for the convenience of the traffic:

Provided that in case the Highway Administration considers that any modification in any such sign is required to serve a particular purpose under section 35 in a more useful manner, it may place or erect such modified signs after the approval of the Central Government for the purpose.

20. Safety control under sub-section (1) of section 37. — (1) No person in charge of, or in possession of, any vehicle shall allow such vehicle —

(i) to proceed on a Highway unless —

(a) such vehicle is driven within such limit of speed as is applicable for the driving of such vehicle in any public place under section 112 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);

(b) such vehicle is within the limits of weight within the meaning of sub-section (2) of section 113 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) for its driving in any public place; and

(c) such vehicle complies with the rules made by the Central Government under section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988) relating to brakes and steering gear, signalling appliances, lamps and reflectors, speed governors, emission of smokes, visible vapour, sparks, grid or oil, reduction of noise emitted by, or caused by, vehicles, auto dipper, provision for transportation of goods of dangerous or hazardous nature to human life and standards for emission or air pollutants; or

(ii) to stand on a Highway unless –

(a) such vehicle stands in such circumstances which has not to cause or likely to cause danger, obstruction or undue inconvenience to other users of the Highway or to the passengers thereon;

(b) such vehicle is under the close supervision of its driver or any other person assigned its supervision and is not left unattended by such driver or person unattended for two hours or more;

(c) such vehicle is parked in a place legally allowed or allowed by the Highway Administration for such parking;

(d) such vehicle is wrecked, burnt or impartially dismantled condition creating a traffic hazard; and

(e) such vehicle is not creating any obstruction in a smooth and easy traffic movement on the Highway.

(2) No person in charge of, or in possession of, any animal shall allow such animal –

(i) to proceed on a Highway unless –

(a) such animal is attended by a person so efficiently to avoid any danger or fear to the traffic on the Highway;

(b) such animal so attended by a person so as not to create any uneasiness to the traffic on the Highway; and

(c) such animal is so attended by a person so as not to allow such animal to damage the Highway;

(ii) to stand on a Highway –

(a) at a place on the Highway other than a place which is specifically allocated by the Highway Administration for such purposes;

321465/04—4

- (b) in a condition unattended by a person;
- (c) in a condition to allow the animal to cause any damage or fear to the traffic;
- and
- (d) in a condition to allow the animal to pollute or damage the Highway.

21. The manner of handing over the vehicle or animal to the owner, etc. — (1) Where a vehicle or animal has been taken into possession by the Highway Administration under sub-section (2) of section 37, a person claiming to be the owner of such vehicle or animal, as the case may be, may make an application to the Highway Administration stating therein that he is the owner of such vehicle or animal, as the case may be, and such vehicle or animal may be handed over to him by the Highway Administration on payment of expenses incurred by the Highway Administration in removal of the vehicle or animal under sub-section (2) of section 37.

(2) The person making an application under sub-rule (1) shall also produce before the Highway Administration evidence to its satisfaction to prove that he is the owner of such vehicle or animal, as the case may be.

(3) Where the Highway Administration after considering the evidence under sub-rule (2), is satisfied that such person is the owner of such vehicle or animal, as the case may be, it shall assess the expenses incurred in the removal of such vehicle or animal under sub-section (2) of section 37 and after payment of the expenses so assessed to the Highway Administration by such person, the Highway Administration shall hand over such vehicle or animal, as the case may be, to such person.

(4) If a vehicle remains unclaimed for seven days, a report in respect of such vehicle shall be made to the concerned police station.

(5) If an animal remains unclaimed, the Highway Administration shall make suitable arrangement for the safe custody and maintenance of such animal till it is disposed of.

22. Form of application under sub-section (2) of section 38. — Every application under sub-section (2) of section 38 shall be made in the Form specified in Schedule VII.

23. Fees and other charges under sub-section (3) of section 38. — (1) The Highway Administration shall impose fee on the persons to whom the permission is given under sub-section (3) of section 38 at the rate specified below, namely :-

Per month fees in rupees = Present cost of land forming part of the Highway occupied or applied for permission to undertake the proposed work

5 x 12

(2) Where the land forming part of the Highway, in respect of which the fees imposed under sub-rule (1), is situated in a Municipal area, then, the other charges at the rate of twenty

per cent of the fees imposed under sub-rule (1) shall also be imposed and where such land is situated in the rural area, then, the other charges so imposed shall be ten per cent.

Explanation :- For the purposes of this sub-rule, the expression "Municipal area" has the meaning assigned to it under clause (a) of article 243 P of the Constitution and the expression "rural area" means the area other than a Municipal area.

24. Summary inquiry under section 43. - (1) If the Highway Administration or the officer authorised in this behalf by such Administration, desires to make any inquiry for the purposes of the Act, he may make a summary inquiry in the following manner, namely :-

(a) the Highway Authority or the Officer authorised by him, as the case may be, may visit the place of unauthorised occupation of the highway land, inspect such land and reduce his observations in writing to arrive at a conclusion for appropriate action under the Act;

(b) the Highway Administration or the Officer authorised by him, as the case may be, thinks necessary, he may record the statement of the concerned village headman, village accountant, village watchman or other village official referred to in section 42 or any other person to arrive at the conclusion that any offence including unauthorised occupation, damage or destruction of a highway land has been committed or not;

(c) where the Highway Administration or the Officer authorised by him, as the case may be, records the statement under clause (b), he shall record such statement in duplicate and obtain signature thereon of the concerned village headman, village accountant, village watchman, other village official or any other person, as the case may be, where statement has been so recorded.

(2) Where on the basis of the inquiry made under sub-rule (1), the Highway Administration or the officer authorised in this behalf by such Administration is satisfied that any action is required to be taken under the Act, the Highway Administration or the person authorised by him, as the case may be, shall take such action without any delay and where the Highway Administration or such officer is satisfied on the basis of such inquiry that any offence involving unauthorised occupation, damage or destruction of the highway land has been committed, as the case may be, shall without delay inform the officer in charge of the police station concerned, along with the copy of relevant observation reduced in writing under clause (a) or statement recorded under clause (b) of sub-rule (1) of such commission of offence for taking necessary action.

(3) Every Highway Administration shall send a summary report once in every three months to the Central Government stating therein the brief description of inquiries made under sub-rule (1) within the jurisdiction of such Highway Administration within such period and the actions taken on the basis of such inquiries.

(4) On receipt of the summary reports under sub-rule (3), the Central Government may issue any general or special orders under the proviso to sub-section (1) of section 3, which such Government thinks fit for proper exercise of powers and discharge of functions by the Highway Administrations under the Act.

25. Manner of service or presentation of notice or bill. — Save as otherwise provided in the Act, every notice or bill issued or prepared under section 47 may be served or presented in the following manner, namely :—

(a) such notice or bill may be served on the person concerned or presented to him by a messenger handing over a copy thereof or obtaining his signature on another copy thereof;

(b) in case the service or presentation of such notice or bill is not easily possible under clause (a), then, such notice or bill shall be sent to the person concerned by registered post or speed post at his known residence and the delivery of such registered post to such person shall be the service on or presentation to him on such notice or bill, as the case may be and in case he refuses to receive such registered post or speed post, the remarks of such refusal by a post office official on the registered post shall be deemed to be the service on, or presentation to, such person of such notice or bill, as the case may be;

(c) in case the service or presentation of such notice or bill is not physically possible under clauses (a) and (b), then, the contents of such notice or bill shall be published in a newspaper having circulation in the locality where the person concerned actually or voluntarily resides or carries on business or personally works for gain and such publication shall be deemed to be the service of such notice or bill, as the case may be, on such person or presentation thereof to him.

26. Interpretation. — If any question arises relating to the implementation of these rules, the same shall be referred to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government shall be implemented.

SCHEDULE I [See rule 4(1)]

Highway Land Register

N.H. No.....

K.M. No.....

STATE/UNION TERRITORY OF.....

S.No.	Name of State/Union Territory	Name of District	Name of Tehsil/Sub-Division	Name of Village/Mohalla	Plot No./Khasra No.	Area of the land in acres/hectares
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

Note : Information is to be maintained kilometre-wise in this register.

SCHEDULE II

(See rule 8)

PERMIT FOR OCCUPATION OF HIGHWAY LAND

(Under sub-section (2) of section 24 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002)

State/Union Territory of.....

1. Name of the person to whom the permit is issued.
2. Father's Name
3. Permanent Address (with telephone no.)
4. Address for communication (with telephone no.)
5. Area of the Highway in sq./m. to be occupied in pursuance of the permit
6. Location of such area (including NH No. its kilometrage and name of State/Union Territory)
7. Purpose for which the permission is granted under the permit.
8. Period with dates for which the permission is granted under the permit.
9. Conditions subject to which permission is granted under the permit.
10. Rent paid.

From..... To.....

Place:

Date:

Signature and seal of the Officer of Highway Administration granting the permit

Note :- Entries regarding renewal including the time period for which renewal is made, rent and additional charges paid therefor shall be made and endorsed on the back of this permit with seal by the officer renewing permission.

SCHEDULE III
(See rule 11)

NOTICE FOR REMOVAL OF UNAUTHORISED OCCUPATION

(Under sub-section (2) of section 26 of the Control of
National Highways (Land and Traffic) Act, 2002)

Whereas I.....on periodical inspection of the highway land on the information received by me, am satisfied that an unauthorised occupation has taken place on the Highway comprised of area.....(specify area) situated at K.M.of N.H. No. (indicate location sufficient to identify area) and such unauthorised occupation has been caused by you/you are responsible for such unauthorised occupation;

Therefore, you.....(Name and address of person to whom notice is to be issued) take notice that you are hereby required to remove such unauthorised occupation within seven days from the date on which this notice is served on you. You may make representation within three days from the date on which this notice is served on you to.....(indicate the designation and address of the officer to whom representation is to be made) and such representation, if made, shall be heard on..... (indicate the date and place of hearing) at.....and be aware of the notice that failure to comply with this notice shall render you liable to penalty and summary eviction from the aforementioned highway land under sub-section (6) of section 26 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002(13 of 2003).

Issued under my hand and seal at.....on.....day of.....200.....

Place.....

Signature of Highway Administration or
Officer authorised
Seal

State/Union Territory of.....

SCHEDULE IV
(See rule 13)

**BILL FOR RECOVERY OF COST OF REMOVAL OF
UNAUTHORISED OCCUPATION AND FINE IMPOSED**

(To be served under sub-section (2) of section 27 of the Control of
National Highways (Land and Traffic) Act, 2002)

1. Name of person to whom the Bill
is to be served.
2. Father's Name
3. Address
(with telephone no.)
4. Location of unauthorised occupation with
N.H. No. and kilometrage.
5. Expenditure incurred (in rupees) in
removing unauthorised occupation/in
making construction including alteration of
construction/in repairing damage.

Additional Charge

Fine imposed

Total

Place:

Date:

Signature of the officer
issuing the bill
Seal

State/Union Territory of.....

SCHEDULE V
(See rule 14)

FORM OF APPLICATION FOR SPECIFIC PERMISSION
FOR ACCESS TO A HIGHWAY

(Under sub-section (2) of section 29 of the Control of
National Highways (Land and Traffic) Act, 2002)

To,

The Highway Administration,
.....
.....

State/Union Territory of.....

1. Name of Applicant.
2. Father's Name
3. Address of applicant.
(with telephone no.)
4. Highway No. and the point of access on highway
on which the permission for access is sought for.
5. Purpose of such permission.
6. The means of access to which the
permission sought for relates.
7. Grounds for such permission
which applicant likes to mention.
8. Period for which the permission
is required.
9. Particulars of fee paid.

From..... To.....

Place:

Signature of the applicant

Date:

SCHEDULE VI

(See rule 16)

LICENCE FOR ACCESS TO HIGHWAY

(Under sub-section (3) of section 29 of the Control of
National Highways (Land and Traffic) Act, 2002)

State/Union Territory of.....

1. Name of the person to whom the licence is issued.
2. Father's name
3. Address of such person
(with telephone no.)
4. Purpose of specific permission.
5. Brief description of Highway in respect of which the specific permission is given.
(N.H. No. and kilometrage also to be indicated)
6. Means of access to which such permission relates.
7. Period for which the licence is valid.
8. Terms and conditions (if any).

From..... To.....

Place:

Name of Highway Authorities
and signature and seal of the
officer issuing the licence.

Date:

SCHEDULE VII
(See rule 22)APPLICATION FOR CONSTRUCTION,
INSTALLATION, ETC. ON HIGHWAY LAND

(Under sub-section (2) for obtaining permission under sub-section (1) of
section 38 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002)

To,

The Highway Administration,
.....
.....

State/Union Territory of.....

1. Name of applicant
2. Father's name
3. Address
(with telephone no.)
4. Location and part of Highway to
be occupied.
(N.H. No. and K.M. also to be indicated)
5. Purpose
6. Period of occupancy of highway land.
7. Method of execution of work.
(Detailed drawing/map of the work to be attached)
8. Period of construction. From..... To.....
9. Method of restoration of such
part of the Highway.

Place:

Date:

Signature of applicant

[F. No. NH-11014/4/2003-P&M]

INDU PRAKASH, Director General (Road Development) & Spl. Secy.